अनुसूची 21– प्रपत्र संख्या – 1131

संपत्ति अबभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं0 1082 19। आवेदन सं0 19

यतः श्रीमती अनिता कुमार पत्नी ने मेरे पास आवेदन किया है कि विनिर्दिष्ट संपत्ति के सम्बन्ध के निबन्धित संव्यवहारों और अबभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाए

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें) एकल मकान 215 ग.फी. पक्का

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अबभारों के लिए मैंने और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों से ता0 31.01.14 19 से ता0 update 19 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अबभारों का पता चलता है :–

मकान अंश

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दास्तावेज की प्रति के प्रति विदेन		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं0	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मकान–	आंशिक		तथ्य	खाता	लोहिया		रक्का	
मकान	आंशिक		8520	130	44		500 9	Sqft.
मकान नं0	115							
मकान	पक्का							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1 बंधक–पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में

2 पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अभभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अभार का पता नहीं चला है।

जिस व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तयार किया

(हस्ताक्षर) जो। प्रभात मल्लिक

(पदनाम)

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) 9.5.19

(पदनाम)

कार्यालय अवर निबंधक, फुलवारी शरीफ, पटना

तारीख मुहर

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अवर निबंधक
फुलवारी शरीफ
पटना

टिप्पणी - इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अभभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (इन्कंबरान्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) का प्रतिदर्श देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अभभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित शुल्क का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेगी।

किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने यह तलाशी अपने घरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाश परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा संव्यवहारों और अभभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए आवेदक द्वारा न बुढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अभभारों के लिए किसी भी तरह जि न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

शोधक 1082 दिनांक 9.5.19

प्रतिलिपि :- अवर निबंधक, हवेली, फुलवारी शरीफ, पटना द्वारा LIC

2nd Floor Fraser Road Patna

अवर निबंधक
फुलवारी शरीफ
पटना 19

अनुसूची 21–फारम सं0–113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

उपलब्ध एवं तैयार ईकड इंडेक्स -II के आधार पर

प्रमाण–पत्र संख्या 20 आवेदन सं0 3110 20 19

चूँकि श्री Sushma Kumari

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0 01-01-2003 से ता0 30-01-2014 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला चला है अत: अवभार मुक्त

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारिख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza — Shahpur P.S — Gopalpur Thana No. — 115 Khata No. — 130 Plot No. — 44 Pauzi No. — 8520 Area — 5009 sq ft.							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।
2. बंधक–पत्र की दिशा व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करे ।

मै यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुर्क्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) M. Hussain
Ade

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): ADC

कार्यालय: Patna

तारीख:

अवर निबंधक का कार्यालय पटना

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

29/05/19

टिप्पणी :– इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति (बाहयों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वंय करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वंय तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रामण–पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक, Patna

ज्ञाप संख्या 3513 दिनांक 29/05/19

आवेदक श्री Sushma Kumari

का ऋणभार प्रमाण–पत्र द्वारा, Manager, LIC Housing Finance Ltd., AO, Patna

का उनके पत्र संख्या LICHFL/A.O./Patna/LA: दिनांक 02/05/2019 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,
Patna
29/05/19